



उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग

विज्ञापन संख्या
डी-1/ई-1/2026
दिनांक 18.08.2026

ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि: 18.08.2026

ऑनलाइन आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने एवं ऑनलाइन आवेदन स्वीकार (SUBMIT) किये जाने की अन्तिम तिथि: 01.09.2026

ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन में सुधार/संशोधन और शुल्क समाधान (Fee Reconciliation) की अन्तिम तिथि: 08.09.2026

अभिलेखों सहित ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी जमा किये जाने की अन्तिम तिथि और समय: 15.09.2026 (सायं 05:00 बजे तक)

महत्वपूर्ण

- (1) (a) ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी को O.T.R. पंजीकरण (O.T.R. Registration) कर O.T.R. नम्बर प्राप्त करना अनिवार्य है।
(b) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ओटीओआरओ नम्बर प्राप्त नहीं किया है वे ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घंटे पूर्व आयोग की वेबसाइट <https://otr.pariksha.nic.in> से ओटीओआरओ नम्बर प्राप्त कर लें।
(c) ओटीओआरओ नम्बर प्राप्त करने के उपरान्त ही आयोग की वेबसाइट <https://uppsc.up.nic.in> पर ऑनलाइन आवेदन सबमिट किया जा सकता है।
(2) अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी चरणों (यथा—O.T.R., फीस भुगतान, फाइनल सबमिशन, अर्हता से सम्बन्धित संशोधन/त्रुटि सुधार इत्यादि) की सूचनाएं साफ्ट व हार्ड कापी के रूप में भविष्य हेतु संरक्षित करना सुनिश्चित करें।
(3) अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और किसी पद के लिये तभी आवेदन करें जब वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार सम्बन्धित पद के लिए अर्ह हों।

नोट— (1) अभ्यर्थीगण ऑन—लाइन आवेदन करने के उपरान्त ऑन—लाइन आवेदन के प्रिन्ट आउट के साथ आवेदित पद के सापेक्ष ऑन—लाइन आवेदन में किये गये दावों के समर्थन में समस्त शैक्षिक/वांछित अभिलेखों की स्व—प्रमाणित छाया प्रतियाँ संलग्न कर अभिलेखों सहित आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी जमा किये जाने की अंतिम तिथि के सायं 5.00 बजे तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से अथवा हाथों—हाथ आयोग कार्यालय में जमा करना प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले अभिलेखों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
(2) आयोग की वेबसाइट पर 'Candidate Dashboard (O.T.R. Based)' पर login कर autofilled पता पत्नी को download कर व उसका प्रिन्टआउट लेकर आवेदन पत्र एवं अभिलेख प्रेषित करने वाले लिफाफे पर उसे चस्पा करते हुए आयोग कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
(3) लिफाफा A-4 साइज का होना चाहिए। एक से अधिक पदों हेतु आवेदन करने की स्थिति में अभ्यर्थी प्रत्येक पद हे

		रूप में कुल कार्य अनुभव के वर्षों को मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में प्रोफेसर के रूप में अनुभव माना जायेगा।			और (ख) (i) एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के बाद कम से कम दो शोध प्रकाशन प्रकाशित किये हों और उनमें उनका नाम पहले तीन लेखकों में से एक होना चाहिए, और (ii) आयोग द्वारा नामित किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा किया हो।
7	एनेस्थीसियोलॉजी	एम०डी०/डी०एन०बी०(एनेस्थीसियोलॉजी) एवं (क) (i) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में सम्बन्धित विषय में तीन वर्ष तक एसोसिएट प्रोफेसर या (ii) सशस्त्र बलों के विशेषज्ञ चिकित्साधिकारी, जिसके पास सशस्त्र बलों के शिक्षण अस्पताल में प्रासंगिक विशेषज्ञता में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव, और (ख) (i) एसोसिएट प्रोफेसर बनने के बाद कम से कम दो शोध प्रकाशन प्रकाशित किये हों और उनमें उनका नाम पहले तीन लेखकों में से एक होना चाहिए, (ii) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा किया हो, और (iii) चिकित्सा शिक्षा में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा करना होगा, बशर्ते की उनका ब्राड स्पेशियलिटी विषय स्नातक प्रशिक्षण के अन्तर्गत आता हो। नोट — कोई वरिष्ठ परामर्शदाता जिसके पास राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) से मान्यता प्राप्त सरकारी चिकित्सा संस्थान में ब्राड स्पेशियलिटी या सुपर स्पेशियलिटी विषय के स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव हो, वह संबंधित विशेषता के किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में प्रोफेसर बनने के लिये पात्र होगा और राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त सरकारी चिकित्सा संस्थान में स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में कुल कार्य अनुभव के वर्षों को मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में प्रोफेसर के रूप में अनुभव माना जायेगा।	11	कार्डियोलॉजी	डी०एम०/ डी०एन०बी०/ डीआरएनबी (कार्डियोलॉजी) एवं (क) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में तीन वर्षों तक सम्बन्धित विषय में एसोसिएट प्रोफेसर, और (ख) (i) एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के बाद कम से कम दो शोध प्रकाशन प्रकाशित किये हों और उनमें उनका नाम पहले तीन लेखकों में से एक होना चाहिए, और (ii) आयोग द्वारा नामित किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा किया हो।
8	ओटो—राइनो—लैरिंगोलॉजी (ई0एन0टी0)	एम०एस०/ डी०एन०बी०(ओटो—राइनो—लैरिंगोलॉजी) एवं (क) (i) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में सम्बन्धित विषय में तीन वर्ष तक एसोसिएट प्रोफेसर या (ii) सशस्त्र बलों के विशेषज्ञ चिकित्साधिकारी, जिसके पास सशस्त्र बलों के शिक्षण अस्पताल में प्रासंगिक विशेषज्ञता में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव, और (ख) (i) एसोसिएट प्रोफेसर बनने के बाद कम से कम दो शोध प्रकाशन प्रकाशित किये हों और उनमें उनका नाम पहले तीन लेखकों में से एक होना चाहिए, (ii) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा किया हो, और (iii) चिकित्सा शिक्षा में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा करना होगा, बशर्ते की उनका ब्राड स्पेशियलिटी विषय स्नातक प्रशिक्षण के अन्तर्गत आता हो। नोट — कोई वरिष्ठ परामर्शदाता जिसके पास राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) से मान्यता प्राप्त सरकारी चिकित्सा संस्थान में ब्राड स्पेशियलिटी या सुपर स्पेशियलिटी विषय के स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव हो, वह संबंधित विशेषता के किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में प्रोफेसर बनने के लिये पात्र होगा और राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त सरकारी चिकित्सा संस्थान में स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में कुल कार्य अनुभव के वर्षों को मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में प्रोफेसर के रूप में अनुभव माना जायेगा।	12		

		पूरा होना चाहिए। ● एन0एम0सी0 द्वारा निर्दिष्ट संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा होना चाहिए।			अनुभव माना जायेगा।
16	डर्मेटोलॉजी, वैनरोलॉजी एण्ड लेप्रोसी (स्किन एण्ड वी0डी0)	एम०डी०/ डी०एन०बी० (डर्मेटोलॉजी, वैनरोलॉजी एण्ड लेप्रोसी) एवं (क) (i) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में सम्बन्धित विषय में तीन वर्ष तक एसोसिएट प्रोफेसर या (ii) सशस्त्र बलों के विशेषज्ञ चिकित्साधिकारी, जिसके पास सशस्त्र बलों के शिक्षण अस्पताल में प्रासंगिक विशेषज्ञता में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव, और (ख) (i) एसोसिएट प्रोफेसर बनने के बाद कम से कम दो शोध प्रकाशन प्रकाशित किये हों और उनमें उनका नाम पहले तीन लेखकों में से एक होना चाहिए, (ii) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा किया हो, और (iii) चिकित्सा शिक्षा में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा करना होगा, बशर्ते की उनका ब्राड स्पेशियलिटी विषय स्नातक प्रशिक्षण के अन्तर्गत आता हो। नोट— कोई वरिष्ठ परामर्शदाता जिसके पास राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) से मान्यता प्राप्त सरकारी चिकित्सा संस्थान में ब्राड स्पेशियलिटी या सुपर स्पेशियलिटी विषय के स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव हो, वह संबंधित विशेषता के किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में प्रोफेसर बनने के लिये पात्र होगा और राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त सरकारी चिकित्सा संस्थान में स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में कुल कार्य अनुभव के वर्षों को मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में प्रोफेसर के रूप में अनुभव माना जायेगा।	22	फिजिकल मेडिसिन एण्ड रिहैब्लिटेशन	(1) एम०डी०/ डी०एन०बी० (फिजिकल मेडिसिन एण्ड रिहैब्लिटेशन) अथवा संक्रमण काल के दौरान शैक्षणिक योग्यता एम०एस०/ एम०डी०/ डी०एन०बी०(पी०एम०आर० में डिप्लोमा के साथ मेडिसिन) या एम०एस०/ डी०एन०बी० (जनरल सर्जरी) या एम०एस०/ डी०एन०बी० (आर्थोपेडिक्स) तथा (क) किसी चिकित्सा संस्थान में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव, जिसमें विशेषज्ञता के लिये समर्पित एक विशेष विभाग या युनिट, जिसमें अलग और समर्पित बुनियादी ढाँचा और संकाय सदस्य हों, जिन्हें किसी अन्य विभाग या युनिट के हिस्से के समानान्तर रूप से नहीं दिखाया गया है। या (ख) निर्दिष्ट स्पेशियलिटी में समर्पित विभाग या युनिट वाले किसी राष्ट्रीय महत्व के संस्थान में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव। या (ग) भारत या विदेश में किसी प्रतिष्ठित या मान्यता प्राप्त उत्कृष्टता संस्थान में, जिसे आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया हो, निर्दिष्ट स्पेशियलिटी के लिये समर्पित विभाग या युनिट संचालित करने वाले संस्थान में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव। और (घ) उपरोक्त निर्दिष्ट तीन वर्षों की अवधि के दौरान सम्बन्धित स्पेशियलिटी में कम से कम दो शोध प्रकाशन हों चाहिए और उनमें उनका नाम पहले तीन लेखकों में से एक होना चाहिए। या (2) (क) (i) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में सम्बन्धित विषय में तीन वर्ष तक एसोसिएट प्रोफेसर या (ii) सशस्त्र बलों के विशेषज्ञ चिकित्साधिकारी, जिसके पास सशस्त्र बलों के शिक्षण अस्पताल में प्रासंगिक विशेषज्ञता में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव, और (ख) (i) एसोसिएट प्रोफेसर बनने के बाद कम से

		या (ii) सशस्त्र बलों के विशेषज्ञ चिकित्साधिकारी, जिसके पास सशस्त्र बलों के शिक्षण अस्पताल में प्रासंगिक विशेषज्ञता में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव, और (ख) (i) एसोसिएट प्रोफेसर बनने के बाद कम से कम दो शोध प्रकाशन प्रकाशित किये हों और उनमें उनका नाम पहले तीन लेखकों में से एक होना चाहिए, (ii) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा किया हो, और (iii) चिकित्सा शिक्षा में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा करना होगा, बशर्ते की उनका ब्राड स्पेशियलिटी विषय स्नातक प्रशिक्षण के अन्तर्गत आता हो। नोट— कोई वरिष्ठ परामर्शदाता जिसके पास राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) से मान्यता प्राप्त सरकारी चिकित्सा संस्थान में ब्राड स्पेशियलिटी या सुपर स्पेशियलिटी विषय के स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव हो, वह संबंधित विशेषता के किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में प्रोफेसर बनने के लिये पात्र होगा और राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त सरकारी चिकित्सा संस्थान में स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में कुल कार्य अनुभव के वर्षों को मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में प्रोफेसर के रूप में अनुभव माना जायेगा।	पात्रता योग्यता विनियम, 2025 के बिन्दु—7 Determination of equivalent qualification of Diplomate of National Board में निहित निम्नलिखित प्राविधान लागू होगा:— (1) The Diplomate of National Board qualification in broad specialty and super specialty shall be considered equivalent to corresponding broad specialties and super specialties academic qualifications specified in Table A, Table B, Table C, and Table D of the Schedule, When awarded by the national Board of Examinations after training in a medical institution with an attached hospital or in a hospital having a bed strength of 500 or more. (2) For the purposes of equivalence in teaching, persons holding a Diplomate of National Board qualification in broad specialty obtained from medical institutions with a bed strength of less than 500 shall be required to complete an additional one-year senior residency in a recognised medical institution in the relevant specialty. (4) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग की अधिसूचना दिनांक 30.06.2025 के द्वारा निर्गत चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम, 2025 के बिन्दु—18 “समकक्ष विदेशी स्नातकोत्तर योग्यताएँ” से आच्छादित अर्हतायें भी समकक्ष मानी जायेंगी :— Any person who has acquired Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery qualification in India and obtained recognised medical qualification (eligible for registration in India) from any of the five English speaking countries such as the United Kingdom, the United States of America, Canada, Australia and New Zealand, shall be eligible for appointment as Assistant Professor or Senior Resident in a medical institution in India in the respective specialty: Provided that any such person having teaching experience of one year and registered in any such country, to practice in that specialty, may be exempted from the requirement of mandatory one year experience of Senior Residency, for eligibility for the post of Assistant Professor: Provided further that in the case of- (a) United Kingdom, such person possesses the Certificate of Completion of Specialist Training or equivalent training with final Fellow of the Royal College of Surgeons or Fellow of the Royal College of Physicians qualification and registered in that country to practice in that specialty, (b) United States of America and Canada, (i) such person possesses Doctor of Medicine degree with Residency Training Certificate in the relevant specialty in the United States of America; and (ii) for super specialties, has completed Residency Training Programme along with accredited Fellowship Programme in the relevant super specialty; (c) Australia and New Zealand, - (i) such person has completed the supervised training programme culminating in the Fellow of the Royal College of Surgeons or Fellow of the Royal College of Physicians of the respective specialty; and (ii) for super specialties, has at atleast two years of supervised sub specialty Fellowship programme in the respective sub specialty. (5) "Research publication" means only original papers, meta-analysis, systematic reviews, and case series that are published in journals indexed in Medline, PubMed Central, Science Citation Index, Citation Index, Expanded Embase, Scopus or Directory of Open Access Journals and other such journals as may be specified by the Commission from time to time; (6) Any faculty having super specialty qualification and serving in a recognised medical institution in a broad specialty department shall be eligible to be a faculty of equivalent cadre of the concerned super specialty department.
26	मेडिकल गैस्ट्रोइन्ट्रोलॉजी	डी०एम० / ड	

17.	स्टेटिशियन कम सहायक आचार्य	कुल-02, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण-अनारक्षित-02, क्षैतिज आरक्षण: शून्य।	एस-8 / 51	55	माइक्रोबायोलॉजी	कुल-27, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण-अनारक्षित-13, अनु0 जाति-05, अ0पि0वर्ग-07, ई0डब्ल्यू0एस0-02, क्षैतिज आरक्षण: महिला-05	एस-8 / 89
18.	कार्डियक एनेस्थीसिया	कुल-11, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण- , अनारक्षित-08, अ0पि0वर्ग-02, ई0डब्ल्यू0एस0-01, क्षैतिज आरक्षण: महिला-02	एस-8 / 52	56	मेडिकल आंकोलॉजी	कुल-03, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण-अनारक्षित-03, क्षैतिज आरक्षण: शून्य।	एस-8 / 90
19.	कार्डियक सर्जरी	कुल-03, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण-अनारक्षित-03, क्षैतिज आरक्षण: शून्य।	एस-8 / 53	57	मेडिकल गैस्ट्रोइन्ट्रोलॉजी	कुल-05, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण-अनारक्षित-04, अ0पि0वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण: महिला-01	एस-8 / 91
20.	कार्डियोलॉजी	कुल-08, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण-अनारक्षित-07, अ0पि0वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण: महिला-01	एस-8 / 54	58	यूरोलॉजी	कुल-11, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण-अनारक्षित-08, अनु0 जाति-02, ई0डब्ल्यू0एस0-01, क्षैतिज आरक्षण: महिला-02	एस-8 / 92
21.	जनरल मेडिसिन	कुल-104, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण-अनारक्षित-55, अनु0 जाति-13, अनु0 जनजाति-02, अ0पि0वर्ग-24, ई0डब्ल्यू0एस0-10, क्षैतिज आरक्षण: डी0एफ0एफ0-02, महिला-20	एस-8 / 55	59	रुमैटोलॉजी	कुल-03, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण-अनारक्षित-03, क्षैतिज आरक्षण: शून्य।	एस-8 / 93
22.	जनरल सर्जरी	कुल-103, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण-अनारक्षित-47, अनु0 जाति-18, अनु0 जनजाति-02, अ0पि0वर्ग-26, ई0डब्ल्यू0एस0-10, क्षैतिज आरक्षण: डी0एफ0एफ0-02, महिला-20	एस-8 / 56	60	रेडियो-डायग्नोसिस	कुल-33, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण-अनारक्षित-19, अनु0 जाति-05, अ0पि0वर्ग-06, ई0डब्ल्यू0एस0-03, क्षैतिज आरक्षण: महिला-06	एस-8 / 94
23.	ट्यूबरकुलोसिस एण्ड रेस्परेटरी मेडिसिन/पल्मोनरी मेडिसिन (टी0बी0 एण्ड चेस्ट)	कुल-16, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण-अनारक्षित-08, अनु0 जाति-03, अ0पि0वर्ग-04, ई0डब्ल्यू0एस0-01, क्षैतिज आरक्षण: महिला-03	एस-8 / 57	61	फिजिसिस्ट (रेडियो-डायग्नोसिस)	कुल-01, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण-अनारक्षित-01, क्षैतिज आरक्षण: शून्य।	एस-8 / 95
24.	ट्रांसफ्यूजन मे						

27.	बायोकेमिस्ट्री	कुल-03, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण-अनु0 जनजाति-01, अ0पि0वर्ग-02, क्षैतिज आरक्षण: शून्य	एस-8 / 127			वरिष्ठ रेजिडेंट के रूप में अपेक्षित अनुभव के समतुल्य माना जाएगा। नोट-3 डेमोंस्ट्रेटर जिसके पास मास्टर ऑफ साइंस और डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री हो द्वारा अपनी विशेषज्ञता के किसी चिकित्सा संस्थान से प्राप्त अनुभव, सहायक प्रोफेसर के पद के लिए पात्रता के प्रयोजनार्थ वरिष्ठ रेजिडेंट के रूप में अपेक्षित अनुभव के समतुल्य माना जाएगा। या (ख) सशस्त्र बलों के वे विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी, जिसके पास संबंधित विषय में आवश्यक स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त करने के बाद कम से कम एक वर्ष का शिक्षण अनुभव अथवा दो वर्ष का नैदानिक अनुभव हो। या (ग) कोई गैर शैक्षणिक परामर्शदाता या विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी जिसके पास स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री हो और जो कम से कम 220 बिस्तरों वाले किसी सरकारी अस्पताल में न्यूनतम दो वर्षों का अनुभव रखता हो, वह संबंधित ब्रॉड स्टपेशियलिटी में सहायक प्रोफेसर बनने के लिए पात्र होगा, और उसके लिए वरिष्ठ रेजिडेंट के रूप में अनुभव की आवश्यकता नहीं होगी और नियुक्ति के दो साल के भीतर बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम (बी0सी0बी0आर0) पूरा करना होगा। या (घ) वे डिप्लोमा धारक, जिन्हें 08.06.2017 से पूर्व किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में वरिष्ठ रेजिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया हो, तथा जो वरिष्ठ रेजिडेंट के रूप में कुल चार वर्षों का अनुभव रखता हो। या (ङ) वे डिप्लोमा धारक जो किसी सरकारी चिकित्सा संस्थान के संबंधित विभाग में, या राष्ट्रीय परीक्षा एवं चिकित्सा विज्ञान बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण कार्यक्रम संचालित करने वाले सरकारी चिकित्सा संस्थान में विशेषज्ञ अथवा चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत हों, तथा जो छह वर्ष का संचयी अनुभव रखता हो।
28.	माइक्रोबायोलॉजी	कुल-06, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण-अनु0 जाति-04, अनु0 जनजाति-01, अ0पि0वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण: महिला-01	एस-8 / 128			वरिष्ठ रेजिडेंट के रूप में अपेक्षित अनुभव के समतुल्य माना जाएगा। नोट-1 सीनियर रेजिडेंट के रूप में एक वर्ष के अनुभव की अनिवार्यता से उन सहायक प्रोफेसर को छूट दी जाएगी, जो इन विनियमों के प्रकाशन से तुरंत पहले सरकारी चिकित्सा संस्थान में सीधे नियुक्त हुए हो। नोट-2 ट्यूटर जिसके पास स्नातकोत्तर डिग्री हो द्वारा अपनी विशेषज्ञता के विषय में किसी चिकित्सा संस्थान में प्राप्त अनुभव, सहायक प्रोफेसर पद के लिए पात्रता के प्रयोजनार्थ, वरिष्ठ रेजिडेंट के रूप में अपेक्षित अनुभव के समतुल्य माना जाएगा। नोट-3 डेमोंस्ट्रेटर जिसके पास मास्टर ऑफ साइंस और डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री हो द्वारा अपनी विशेषज्ञता के किसी चिकित्सा संस्थान से प्राप्त अनुभव, सहायक प्रोफेसर के पद के लिए पात्रता के प्रयोजनार्थ वरिष्ठ रेजिडेंट के रूप में अपेक्षित अनुभव के समतुल्य माना जाएगा। या (ख) सशस्त्र बलों के वे विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी, जिसके पास संबंधित विषय में आवश्यक स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त करने के बाद कम से कम एक वर्ष का शिक्षण अनुभव अथवा दो वर्ष का नैदानिक अनुभव हो। या (ग) कोई गैर शैक्षणिक परामर्शदाता या विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी जिसके पास स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री हो और जो कम से कम 220 बिस्तरों वाले किसी सरकारी अस्पताल में न्यूनतम दो वर्षों का अनुभव रखता हो, वह संबंधित ब्रॉड स्टपेशियलिटी में सहायक प्रोफेसर बनने के लिए पात्र होगा, और उसके लिए वरिष्ठ रेजिडेंट के रूप में अनुभव की आवश्यकता नहीं होगी और नियुक्ति के दो साल के भीतर बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम (बी0सी0बी0आर0) पूरा करना होगा। या (घ) वे डिप्लोमा धारक, जिन्हें 08.06.2017 से पूर्व किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में वरिष्ठ रेजि

		तथा (क) किसी चिकित्सा संस्थान में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव, जिसमें विशेषज्ञता के लिये समर्पित एक विशेष विभाग या युनिट, जिसमें अलग और समर्पित बुनियादी ढाँचा और संकाय सदस्य हों, जिन्हें किसी अन्य विभाग या युनिट के हिस्से के समानान्तर रूप से नहीं दिखाया गया है। या (ख) निर्दिष्ट स्पेशियलिटी में समर्पित विभाग या युनिट वाले किसी राष्ट्रीय महत्व के संस्थान में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव। या (ग) भारत या विदेश में किसी प्रतिष्ठित या मान्यता प्राप्त उत्कृष्टता संस्थान में, जिसे आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया हो, निर्दिष्ट स्पेशियलिटी के लिये समर्पित विभाग या युनिट संचालित करने वाले संस्थान में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव। और (घ) उपरोक्त निर्दिष्ट तीन वर्षों की अवधि के दौरान सम्बन्धित स्पेशियलिटी में कम से कम दो शोध प्रकाशन होने चाहिए और उनमें उनका नाम पहले तीन लेखकों में से एक होना चाहिए। (2) आयोग द्वारा नामित किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो।			(ग) कोई गैर शैक्षणिक परामर्शदाता या विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी जिसके पास स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री हो और जो कम से कम 220 बिस्तरों वाले किसी सरकारी अस्पताल में न्यूनतम दो वर्षों का अनुभव रखता हो, वह संबंधित ब्राड स्पेशियलिटी में सहायक प्रोफेसर बनने के लिये पात्र होगा, और उसके लिये वरिष्ठ रेजीडेंट के रूप में अनुभव की आवश्यकता नहीं होगी और नियुक्ति के दो साल के भीतर बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम (बी०सी०बी०आर०) पूरा करना होगा। या (घ) वे डिप्लोमा धारक, जिन्हें 08.06.2017 से पूर्व किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में वरिष्ठ रेजीडेंट के रूप में नियुक्त किया गया हो, तथा जो वरिष्ठ रेजीडेंट के रूप में कुल चार वर्षों का अनुभव रखता हो। या (ङ.) वे डिप्लोमा धारक जो किसी सरकारी चिकित्सा संस्थान के सम्बन्धित विभाग में, या राष्ट्रीय परीक्षा एवं चिकित्सा विज्ञान बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण कार्यक्रम संचालित करने वाले सरकारी चिकित्सा संस्थान में विशेषज्ञ अथवा चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत हों, तथा जो छह वर्ष का संचयी अनुभव रखता हो। नोट— इमरजेन्सी मेडिसिन विभाग में संकाय के रूप में नियुक्ति के लिये, जनरल सर्जरी या एनेस्थीसिया या रेस्पिरेटरी मेडिसिन या आर्थोपेडिक्स या जनरल मेडिसिन की ब्राड स्पेशियलिटी में पिछले शिक्षण अनुभव को गिना जायेगा और ऐसी नियुक्ति पर, नियुक्ति के दो वर्षों के भीतर आयोग द्वारा निर्धारित फ़ैकल्टी डेवलेपमेन्ट प्रोग्राम या ट्रेनिंग पूरा करना होगा।
7.	एन्डोक्रिनोलॉजी (ह्यूमन मेटाबालिज्म)	डी0एम0 / डी0एन0बी0* / डीआरएनबी* (एन्डोक्राइनोलॉजी) एवं आयोग द्वारा नामित किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो।	10.	एनाटॉमी	एम0डी0 / एम0एस0 / डी0एन0बी*(एनाटॉमी) या एम0एस0सी0 (मेडिकल एनाटॉमी) के साथ मेडिकल एनाटॉमी में पी0एच0डी0 एवं (क) डिग्री प्राप्त करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में संबंधित विषय में सीनियर रेजिडेंट के रूप में एक वर्ष का अनुभव। नोट—1 सीनियर रेजिडेंट के रूप में एक वर्ष के अनुभव की अनिवार्यता से उन सहायक प्रोफेसर को छूट दी जाएगी, जो इन विनियमों के प्रकाशन से तुरंत पहले सरकारी चिकित्सा संस्थान में सीधे निय

		चिकित्सा संस्थान में प्राप्त अनुभव, सहायक प्रोफेसर पद के लिये पात्रता के प्रयोजनार्थ, वरिष्ठ रेजीडेंट के रूप में अपेक्षित अनुभव के समतुल्य माना जायेगा। नोट—3 डिमांस्ट्रेटर जिसके पास मास्टर ऑफ साइंस और डाक्टर ऑफ फिलास्पी की डिग्री हो द्वारा अपनी विशेषज्ञता के किसी चिकित्सा संस्थान से प्राप्त अनुभव, सहायक प्रोफेसर के पद के लिये पात्रता के प्रयोजनार्थ वरिष्ठ रेजीडेंट के रूप में अपेक्षित अनुभव के समतुल्य माना जायेगा। या (ख) सशस्त्र बलों के वे विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी, जिनके पास संबंधित विषय में आवश्यक स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त करने के बाद कम से कम एक वर्ष का शिक्षण अनुभव अथवा दो वर्ष का नैदानिक अनुभव हो। या (ग) कोई गैर शैक्षणिक परामर्शदाता या विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी जिसके पास स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री हो और जो कम से कम 220 बिस्तरों वाले किसी सरकारी अस्पताल में न्यूनतम दो वर्षों का अनुभव रखता हो, वह संबंधित ब्राड स्पेशियलिटी में सहायक प्रोफेसर बनने के लिये पात्र होगा, और उसके लिये वरिष्ठ रेजीडेंट के रूप में अनुभव की आवश्यकता नहीं होगी और नियुक्ति के दो साल के भीतर बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम (बी०सी०बी०आर०) पूरा करना होगा। या (घ) वे डिप्लोमा धारक, जिन्हें 08.06.2017 से पूर्व किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में वरिष्ठ रेजीडेंट के रूप में नियुक्त किया गया हो, तथा जो वरिष्ठ रेजीडेंट के रूप में कुल चार वर्षों का अनुभव रखता हो। या (ङ) वे डिप्लोमा धारक जो किसी सरकारी चिकित्सा संस्थान के सम्बन्धित विभाग में, या राष्ट्रीय परीक्षा एवं चिकित्सा विज्ञान बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण कार्यक्रम संचालित करने वाले सरकारी चिकित्सा संस्थान में विशेषज्ञ अथवा चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत हों, तथा जो छह वर्ष का संचयी अनुभव रखता हो।			(ग) कोई गैर शैक्षणिक परामर्शदाता या विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी जिसके पास स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री हो और जो कम से कम 220 बिस्तरों वाले किसी सरकारी अस्पताल में न्यूनतम दो वर्षों का अनुभव रखता हो, वह संबंधित ब्राड स्पेशियलिटी में सहायक प्रोफेसर बनने के लिये पात्र होगा, और उसके लिये वरिष्ठ रेजीडेंट के रूप में अनुभव की आवश्यकता नहीं होगी और नियुक्ति के दो साल के भीतर बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम (बी०सी०बी०आर०) पूरा करना होगा। या (घ) वे डिप्लोमा धारक, जिन्हें 08.06.2017 से पूर्व किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में वरिष्ठ रेजीडेंट के रूप में नियुक्त किया गया हो, तथा जो वरिष्ठ रेजीडेंट के रूप में कुल चार वर्षों का अनुभव रखता हो। या (ङ) वे डिप्लोमा धारक जो किसी सरकारी चिकित्सा संस्थान के सम्बन्धित विभाग में, या राष्ट्रीय परीक्षा एवं चिकित्सा विज्ञान बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण कार्यक्रम संचालित करने वाले सरकारी चिकित्सा संस्थान में विशेषज्ञ अथवा चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत हों, तथा जो छह वर्ष का संचयी अनुभव रखता हो।
13.	कम्युनिटी मेडिसिन	एम०डी० / डी०एन०बी०* (कम्युनिटी मेडिसिन) या एम०डी० (कम्युनिटी हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन) एवं (क) डिग्री प्राप्त करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में संबंधित विषय में सीनियर रेजीडेंट के रूप में एक वर्ष का अनुभव नोट—1 सीनियर रेजीडेंट के रूप में एक वर्ष के अनुभव की अनिवार्यता से उन सहायक प्रोफेसर को छूट दी जायेगी, जो इन विनियमों के प्रकाशन से तुरन्त पहले सरकारी चिकित्सा संस्थान में में सीधे नियुक्त हुये हों। नोट—2 ट्यूटर जिसके पास स्नातकोत्तर डिग्री हो द्वारा अपनी विशेषज्ञता के विषय में किसी चिकित्सा संस्थान में प्राप्त अनुभव, सहायक प्रोफेसर पद के लिये पात्रता के प्रयोजनार्थ, वरिष्ठ रेजीडेंट के रूप में अपेक्षित अनुभव के समतुल्य माना जायेगा। नोट—3 डिमांस्ट्रेटर जिसके पास मास्टर ऑफ साइंस और डाक्टर ऑफ फिलास्पी की डिग्री हो द्वारा अपनी विशेषज्ञता के किसी चिकित्सा संस्थान से प्राप्त अनुभव, सहायक प्रोफेसर के पद			

		(ख) निर्दिष्ट स्पेशियलिटी में समर्पित विभाग या युनिट वाले किसी राष्ट्रीय महत्व के संस्थान में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव। या (ग) भारत या विदेश में किसी प्रतिष्ठित या मान्यता प्राप्त उत्कृष्टता संस्थान में, जिसे आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया हो, निर्दिष्ट स्पेशियलिटी के लिये समर्पित विभाग या युनिट संचालित करने वाले संस्थान में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव। और (घ) उपरोक्त निर्दिष्ट तीन वर्षों की अवधि के दौरान सम्बन्धित स्पेशियलिटी में कम से कम दो शोध प्रकाशन होने चाहिए और उनमें उनका नाम पहले तीन लेखकों में से एक होना चाहिए। (2) आयोग द्वारा नामित किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो।			अनुभव की आवश्यकता नहीं होगी और नियुक्ति के दो साल के भीतर बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम (बी०सी०बी०आर०) पूरा करना होगा। या (घ) वे डिप्लोमा धारक, जिन्हें 08.06.2017 से पूर्व किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में नियुक्त किया गया हो, तथा जो वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में कुल चार वर्षों का अनुभव रखता हो। या (ङ) वे डिप्लोमा धारक जो किसी सरकारी चिकित्सा संस्थान के सम्बन्धित विभाग में, या राष्ट्रीय परीक्षा एवं चिकित्सा विज्ञान बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण कार्यक्रम संचालित करने वाले सरकारी चिकित्सा संस्थान में विशेषज्ञ अथवा चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत हों, तथा जो छह वर्ष का संघयी अनुभव रखता हो।
19.	कार्डियक सर्जरी	एम0सी0एच0 / डी0एन0बी0* / डीआरएनबी* (कार्डियक सर्जरी) एवं आयोग द्वारा नामित किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो।	25.	ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन	एम०डी० / डी०एन०बी०* (ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन) एवं डिग्री प्राप्त करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त / अनुमत चिकित्सा कालेज में संबंधित विषय में वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में एक वर्ष का अनुभव
20.	कार्डियोलॉजी	डी0एम0 / डी0एन0बी0* / डीआरएनबी* (कार्डियोलॉजी) एवं आयोग द्वारा नामित किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो।	26.	डर्मेटोलॉजी वेनेरोलॉजी एण्ड लेप्रोसी (स्किन एण्ड वी0डी0)	एम०डी० / डी०एन०बी०* (डर्मेटोलॉजी, वेनेरोलॉजी एण्ड लेप्रोसी) एवं (क) डिग्री प्राप्त करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में संबंधित विषय में सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में एक वर्ष का अनुभव नोट—1 सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में एक वर्ष के अनुभव की अनिवार्यता से उन सहायक प्रोफेसर को छूट दी जायेगी, जो इन विनियमों के प्रकाशन से तुरन्त पहले सरकारी चिकित्सा संस्थान में में सीधे नियुक्त हुये हों। नोट—2 ट्यूटर जिसके पास स्नातकोत्तर डिग्री हो द्वारा अपनी विशेषज्ञता के विषय में किसी चिकित्सा संस्थान में प्राप्त अनुभव, सहायक प्रोफेसर पद के लिये पात्रता के प्रयोजनार्थ, वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में अपेक्षित अनुभव के समतुल्य माना जायेगा। नोट—3 डिमांस्ट्रेटर जिसके पास मास्टर ऑफ साइंस और डाक्टर ऑफ फिलास्पी की डिग्री हो द्वारा अपनी विशेषज्ञता के किसी चिकित्सा संस्थान से प्राप्त अनुभव, सहायक प्रोफेसर के पद के लिये पात्रता के प्रयोजनार्थ वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में अपेक्षित अनुभव के समतुल्य माना जायेगा। या (ख) सशस्त्र बलों

		नोट—1 सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में एक वर्ष के अनुभव की अनिवार्यता से उन सहायक प्रोफेसर को छूट दी जायेगी, जो इन विनियमों के प्रकाशन से तुरन्त पहले सरकारी चिकित्सा संस्थान में में सीधे नियुक्त हुये हों। नोट—2 ट्यूटर जिसके पास स्नातकोत्तर डिग्री हो द्वारा अपनी विशेषज्ञता के विषय में किसी चिकित्सा संस्थान में प्राप्त अनुभव, सहायक प्रोफेसर पद के लिये पात्रता के प्रयोजनार्थ, वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में अपेक्षित अनुभव के समतुल्य माना जायेगा। नोट—3 डिमांस्ट्रेटर जिसके पास मास्टर ऑफ साइंस और डाक्टर ऑफ फिलास्पी की डिग्री हो द्वारा अपनी विशेषज्ञता के किसी चिकित्सा संस्थान से प्राप्त अनुभव, सहायक प्रोफेसर के पद के लिये पात्रता के प्रयोजनार्थ वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में अपेक्षित अनुभव के समतुल्य माना जायेगा। या (ख) सशस्त्र बलों के वे विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी, जिनके पास संबंधित विषय में आवश्यक स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त करने के बाद कम से कम एक वर्ष का शिक्षण अनुभव अथवा दो वर्ष का नैदानिक अनुभव हो। या (ग) कोई गैर शैक्षणिक परामर्शदाता या विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी जिसके पास स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री हो और जो कम से कम 220 बिस्तरों वाले किसी सरकारी अस्पताल में न्यूनतम दो वर्षों का अनुभव रखता हो, वह संबंधित ब्राड स्पेशियलिटी में सहायक प्रोफेसर बनने के लिये पात्र होगा, और उसके लिये वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में अनुभव की आवश्यकता नहीं होगी और नियुक्ति के दो साल के भीतर बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम (बी०सी०बी०आर०) पूरा करना होगा। या (घ) वे डिप्लोमा धारक, जिन्हें 08.06.2017 से पूर्व किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में नियुक्त किया गया हो, तथा जो वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में कुल चार वर्षों का अनुभव रखता हो। या (ङ) वे डिप्लोमा धारक जो किसी सरकारी चिकित्सा संस्थान के सम्बन्धित विभाग में, या राष्ट्रीय परीक्षा एवं चिकित्सा विज्ञान बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण कार्यक्रम संचालित करने वाले सरकारी चिकित्सा संस्थान में विशेषज्ञ अथवा चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत हों, तथा जो छह वर्ष का संचयी अनुभव रखता हो।			या (ड.) वे डिप्लोमा धारक जो किसी सरकारी चिकित्सा संस्थान के सम्बन्धित विभाग में, या राष्ट्रीय परीक्षा एवं चिकित्सा विज्ञान बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण कार्यक्रम संचालित करने वाले सरकारी चिकित्सा संस्थान में विशेषज्ञ अथवा चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत हों, तथा जो छह वर्ष का संचयी अनुभव रखता हो।
			37.	नियोनेटोलॉजी	(1) डी०एम०/डी०एन०बी०* /डीआरएनबी*(नियोनेटोलॉजी) अथवा संक्रमण काल के दौरान शैक्षणिक योग्यता एम०डी०/डी०एन०बी०*(पीडियाट्रिक्स) तथा (क) किसी चिकित्सा संस्थान में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव, जिसमें विशेषज्ञता के लिये समर्पित एक विशेष विभाग या युनिट, जिसमें अलग और समर्पित बुनियादी डॉंचा और संकाय सदस्य हो, जिन्हें किसी अन्य विभाग या युनिट के हिस्से के समानान्तर रूप से नहीं दिखाया गया है। या (ख) निर्दिष्ट स्पेशियलिटी में समर्पित विभाग या युनिट वाले किसी राष्ट्रीय महत्व के संस्थान में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव। या (ग) भारत या विदेश में किसी प्रतिष्ठित या मान्यता प्राप्त उत्कृष्टता संस्थान में, जिसे आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया हो, निर्दिष्ट स्पेशियलिटी के लिये समर्पित विभाग या युनिट संचालित करने वाले संस्थान में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव। और (घ) उपरोक्त निर्दिष्ट तीन वर्षों की अवधि के दौरान सम्बन्धित स्पेशियलिटी में कम से कम दो शोध प्रकाशन होने चाहिए और उनमें उनका नाम पहले तीन

	तथा (क) किसी चिकित्सा संस्थान में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव. जिसमें विशेषज्ञता के लिये समर्पित एक विशेष विभाग या युनिट, जिसमें अलग और समर्पित बुनियादी ढाँचा और संकाय सदस्य हों, जिन्हें किसी अन्य विभाग या युनिट के हिस्से के समानान्तर रूप से नहीं दिखाया गया है। या (ख) निर्दिष्ट स्पेशियलिटी में समर्पित विभाग या युनिट वाले किसी राष्ट्रीय महत्व के संस्थान में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव। या (ग) भारत या विदेश में किसी प्रतिष्ठित या मान्यता प्राप्त उत्कृष्टता संस्थान में, जिसे आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया हो, निर्दिष्ट स्पेशियलिटी के लिये समर्पित विभाग या युनिट संचालित करने वाले संस्थान में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव। और (घ) उपरोक्त निर्दिष्ट तीन वर्षों की अवधि के दौरान सम्बन्धित स्पेशियलिटी में कम से कम दो शोध प्रकाशन होने चाहिए और उनमें उनका नाम पहले तीन लेखकों में से एक होना चाहिए। (2) आयोग द्वारा नामित किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो।			(ख) सशस्त्र बलों के वे विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी, जिनके पास संबंधित विषय में आवश्यक स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त करने के बाद कम से कम एक वर्ष का शिक्षण अनुभव अथवा दो वर्ष का नैदानिक अनुभव हो। या (ग) कोई गैर शैक्षणिक परामर्शदाता या विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी जिसके पास स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री हो और जो कम से कम 220 बिस्तरों वाले किसी सरकारी अस्पताल में न्यूनतम दो वर्षों का अनुभव रखता हो, वह संबंधित ब्राड स्पेशियलिटी में सहायक प्रोफेसर बनने के लिये पात्र होगा, और उसके लिये वरिष्ठ रेजीडेंट के रूप में अनुभव की आवश्यकता नहीं होगी और नियुक्ति के दो साल के भीतर बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम (बी०सी०बी०आर०) पूरा करना होगा। या (घ) वे डिप्लोमा धारक, जिन्हें 08.06.2017 से पूर्व किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में वरिष्ठ रेजीडेंट के रूप में नियुक्त किया गया हो, तथा जो वरिष्ठ रेजीडेंट के रूप में कुल चार वर्षों का अनुभव रखता हो। या (ङ) वे डिप्लोमा धारक जो किसी सरकारी चिकित्सा संस्थान के सम्बन्धित विभाग में, या राष्ट्रीय परीक्षा एवं चिकित्सा विज्ञान बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण कार्यक्रम संचालित करने वाले सरकारी चिकित्सा संस्थान में विशेषज्ञ अथवा चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत हों, तथा जो छह वर्ष का संचयी अनुभव रखता हो।	
43.	पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी	(1) डी०एम०/डी०एन०बी०*/डीआरएनबी*(पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी) अथवा संक्रमण काल के दौरान शैक्षणिक योग्यता एम०डी०/डी०एन०बी०* पीडियाट्रिक्स तथा (क) किसी चिकित्सा संस्थान में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव, जिसमें विशेषज्ञता के लिये समर्पित एक विशेष विभाग या युनिट, जिसमें अलग और समर्पित बुनियादी ढाँचा और संकाय सदस्य हों, जिन्हें किसी अन्य विभाग या युनिट के हिस्से के समानान्तर रूप से नहीं दिखाया गया है। या (ख) निर्दिष्ट स्पेशियलिटी में समर्पित विभाग या युनिट वाले किसी राष्ट्रीय महत्व के संस्थान में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव। या (ग) भारत या विदेश में किसी प्रतिष्ठित या मान्यता प्राप्त उत्कृष्टता संस्थान में, जिसे आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया हो, निर्दिष्ट स्पेशियलिटी के लिये समर्पित विभाग या युनिट संचालित करने वाले संस्थान में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव। और (घ) उपरोक्त निर्दिष्ट तीन वर्षों की अवधि के दौरान सम्बन्धित स्पेशियलिटी में कम से कम दो शोध प्रकाशन होने चाहिए और उनमें उनका नाम पहले तीन लेखकों में से एक होना चाहिए। (2) आयोग द्वारा नामित किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो।	51.	फार्माकोलॉजी	एम०डी०/डी०एन०बी०*(फार्माकोलॉजी) या एम०एस०सी० (मेडिकल फार्माकोलॉ

		या (घ) वे डिप्लोमा धारक, जिन्हें 08.06.2017 से पूर्व किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में वरिष्ठ रेजीडेंट के रूप में नियुक्त किया गया हो, तथा जो वरिष्ठ रेजीडेंट के रूप में कुल चार वर्षों का अनुभव रखता हो। या (ङ) वे डिप्लोमा धारक जो किसी सरकारी चिकित्सा संस्थान के सम्बन्धित विभाग में, या राष्ट्रीय परीक्षा एवं चिकित्सा विज्ञान बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण कार्यक्रम संचालित करने वाले सरकारी चिकित्सा संस्थान में विशेषज्ञ अथवा चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत हों, तथा जो छह वर्ष का संघयी अनुभव रखता हो।			या (ग) कोई गैर शैक्षणिक परामर्शदाता या विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी जिसके पास स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री हो और जो कम से कम 220 बिस्तरों वाले किसी सरकारी अस्पताल में न्यूनतम दो वर्षों का अनुभव रखता हो, वह संबंधित ब्राड स्पेशियलिटी में सहायक प्रोफेसर बनने के लिये पात्र होगा, और उसके लिये वरिष्ठ रेजीडेंट के रूप में अनुभव की आवश्यकता नहीं होगी और नियुक्ति के दो साल के भीतर बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम (बी०सी०बी०आर०) पूरा करना होगा। या (घ) वे डिप्लोमा धारक, जिन्हें 08.06.2017 से पूर्व किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में वरिष्ठ रेजीडेंट के रूप में नियुक्त किया गया हो, तथा जो वरिष्ठ रेजीडेंट के रूप में कुल चार वर्षों का अनुभव रखता हो। या (ङ) वे डिप्लोमा धारक जो किसी सरकारी चिकित्सा संस्थान के सम्बन्धित विभाग में, या राष्ट्रीय परीक्षा एवं चिकित्सा विज्ञान बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण कार्यक्रम संचालित करने वाले सरकारी चिकित्सा संस्थान में विशेषज्ञ अथवा चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत हों, तथा जो छह वर्ष का संघयी अनुभव रखता हो।
53.	फिजियोलॉजी	एम०डी०/ डी०एन०बी०* (फिजियोलॉजी) या एम०एस०सी० (मेडिकल फिजियोलॉजी) के साथ मेडिकल फिजियोलोजी में पी०एच०डी० एवं (क) डिग्री प्राप्त करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में संबंधित विषय में सीनियर रेजीडेंट के रूप में एक वर्ष का अनुभव नोट—1 सीनियर रेजीडेंट के रूप में एक वर्ष के अनुभव की अनिवार्यता से उन सहायक प्रोफेसर को छूट दी जायेगी, जो इन विनियमों के प्रकाशन से तुरन्त पहले सरकारी चिकित्सा संस्थान में में सीधे नियुक्त हुये हों। नोट—2 ट्यूटर जिसके पास स्नातकोत्तर डिग्री हो द्वारा अपनी विशेषज्ञता के विषय में किसी चिकित्सा संस्थान में प्राप्त अनुभव, सहायक प्रोफेसर पद के लिये पात्रता के प्रयोजनार्थ, वरिष्ठ रेजीडेंट के रूप में अपेक्षित अनुभव के समतुल्य माना जायेगा। नोट—3 डिमांस्ट्रेटर जिसके पास मास्टर ऑफ साइंस और डाक्टर ऑफ फिलास्पी की डिग्री हो द्वारा अपनी विशेषज्ञता के किसी चिकित्सा संस्थान से प्राप्त अनुभव, सहायक प्रोफेसर के पद के लिये पात्रता के प्रयोजनार्थ वरिष्ठ रेजीडेंट के रूप में अपेक्षित अनुभव के समतुल्य माना जायेगा। या (ख) सशस्त्र बलों के वे विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी, जिनके पास संबंधित विषय में आवश्यक स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त करने के बाद कम से कम एक वर्ष का शिक्षण अनुभव अथवा दो वर्ष का नैदानिक अनुभव हो। या (ग) कोई गैर शैक्षणिक परामर्शदाता या विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी जिसके पास स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री हो और जो कम से कम 220 बिस्तरों वाले किसी सरकारी अस्पताल में न्यूनतम दो वर्षों का अनुभव रखता हो, वह संबंधित ब्राड स्पेशियलिटी में सहायक प्रोफेसर बनने के लिये पात्र होगा, और उसके लिये वरिष्ठ रेजीडेंट के रूप में अनुभव की आवश्यकता नहीं होगी और नियुक्ति के दो साल के भीतर बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम (बी०सी०बी०आर०) पूरा करना होगा। या (घ) वे डिप्लोमा धारक, जिन्हें 08.06.2017 से पूर्व किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में वरिष्ठ रेजीडेंट के रूप में नियुक्त किया गया हो, तथा जो वरिष्ठ रेजीडेंट के रूप में कुल चार वर्षों का अनुभव रखता हो। या			

		युनिट संचालित करने वाले संस्थान में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव । और (घ) उपरोक्त निर्दिष्ट तीन वर्षों की अवधि के दौरान सम्बन्धित स्पेशियलिटी में कम से कम दो शोध प्रकाशन होने चाहिए और उनमें उनका नाम पहले तीन लेखकों में से एक होना चाहिए । (2) आयोग द्वारा नामित किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो			(ख) सशस्त्र बलों के वे विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी, जिनके पास संबंधित विषय में आवश्यक स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त करने के बाद कम से कम एक वर्ष का शिक्षण अनुभव अथवा दो वर्ष का नैदानिक अनुभव हो । या (ग) कोई गैर शैक्षणिक परामर्शदाता या विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी जिसके पास स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री हो और जो कम से कम 220 बिस्तरों वाले किसी सरकारी अस्पताल में न्यूनतम दो वर्षों का अनुभव रखता हो, वह संबंधित ब्राड स्पेशियलिटी में सहायक प्रोफेसर बनने के लिये पात्र होगा, और उसके लिये वरिष्ठ रेजीडेंट के रूप में अनुभव की आवश्यकता नहीं होगी और नियुक्ति के दो साल के भीतर बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम (बी०सी०बी०आर०) पूरा करना होगा । या (घ) वे डिप्लोमा धारक, जिन्हें 08.06.2017 से पूर्व किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में वरिष्ठ रेजीडेंट के रूप में नियुक्त किया गया हो तथा जो वरिष्ठ रेजीडेंट के रूप में कुल चार वर्षों का अनुभव रखता हो । या (ङ) वे डिप्लोमा धारक जो किसी सरकारी चिकित्सा संस्थान के सम्बन्धित विभाग में, या राष्ट्रीय परीक्षा एवं चिकित्सा विज्ञान बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण कार्यक्रम संचालित करने वाले सरकारी चिकित्सा संस्थान में विशेषज्ञ अथवा चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत हों, तथा जो छह वर्ष का संचयी अनुभव रखता हो ।
61.	रेडियो—डायग्नोसिस	एम०डी०/ डी०एन०बी०* (रेडियोडायग्नोसिस) एवं (क) डिग्री प्राप्त करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में संबंधित विषय में सीनियर रेजीडेंट के रूप में एक वर्ष का अनुभव नोट—1 सीनियर रेजीडेंट के रूप में एक वर्ष के अनुभव की अनिवार्यता से उन सहायक प्रोफेसर को छूट दी जायेगी, जो इन विनियमों के प्रकाशन से तुरन्त पहले सरकारी चिकित्सा संस्थान में में सीधे नियुक्त हुये हों । नोट—2 ट्यूटर जिसके पास स्नातकोत्तर डिग्री हो द्वारा अपनी विशेषज्ञता के विषय में किसी चिकित्सा संस्थान में प्राप्त अनुभव, सहायक प्रोफेसर पद के लिये पात्रता के प्रयोजनार्थ, वरिष्ठ रेजीडेंट के रूप में अपेक्षित अनुभव के समतुल्य माना जायेगा । नोट—3 डिमांस्ट्रेटर जिसके पास मास्टर ऑफ साइंस और डाक्टर ऑफ फिलास्पी की डिग्री हो द्वारा अपनी विशेषज्ञता के किसी चिकित्सा संस्थान से प्राप्त अनुभव, सहायक प्रोफेसर के पद के लिये पात्रता के प्रयोजनार्थ वरिष्ठ रेजीडेंट के रूप में अपेक्षित अनुभव के समतुल्य माना जायेगा । या (ख) सशस्त्र बलों के वे विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी, जिनके पास संबंधित विषय में आवश्यक स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त करने के बाद कम से कम एक वर्ष का शिक्षण अनुभव अथवा दो वर्ष का नैदानिक अनुभव हो । या (ग) कोई गैर शैक्षणिक परामर्शदाता या विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी जिसके पास स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री हो और जो कम से कम 220 बिस्तरों वाले किसी सरकारी अस्पताल में न्यूनतम दो वर्षों का अनुभव रखता हो, वह संबंधित ब्राड स्पेशियलिटी में सहायक प्रोफेसर बनने के लिये पात्र होगा, और उसके लिये वरिष्ठ रेजीडेंट के रूप में अनुभव की आवश्यकता नहीं होगी और नियुक्ति के दो साल के भीतर बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम (बी०सी०बी०आर०) पूरा करना होगा । या (घ) वे डिप्लोमा धारक, जिन्हें 08.06.2017 से पूर्व किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में वरिष्ठ रेजीडेंट के रूप में नियुक्त किया गया हो, तथा जो वरिष्ठ रेजीडेंट के रूप में कुल चार वर्षों का अनुभव रखता हो । या (ङ) वे डिप्लोमा			

(घ) स्क्रीनिंग परीक्षा ऐसे स्थानों पर, दिनांक को और समय पर आयोजित की जायेगी जैसा आयोग द्वारा नियत किया गया हो।					पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये जाति प्रमाण-पत्र का प्रारूप शासनादेश संख्या- 22 / 16 / 92-टी.सी.-प्/ का- 2 / 2002 दिनांक 22 अक्टूबर, 2008 में निर्धारित प्रारूप में जो जिलाधिकारी / अपर जिला मजिस्ट्रेट (कार्यकारी) / नगर मजिस्ट्रेट / एस.डी.एम. / तहसीलदार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर निर्गत किया गया हो, मान्य होगा। 10.6 उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग-2 के पत्रांक 1 / 2019 / 4 / 1 / 2002 / का-2 / 19 टी.सी.-।। दिनांक 18 फरवरी 2019 में निहित प्राविधानों के अनुपालन में उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के ऐसे व्यक्तियों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था से आच्छादित नहीं हैं, को उत्तर प्रदेश सरकार की लोक सेवाओं और पदों की सभी श्रेणियों में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर 10 प्रतिशत का आरक्षण नियमानुसार देय होगा। <u>ई0डब्ल्यू0एस0 श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा उनकी श्रेणी का प्रमाण-पत्र कार्मिक अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 18.02.2019 के अनुरूप समस्त स्रोतों से प्राप्त आय आरक्षण हेतु आवेदन करने के वर्ष के पूर्व वर्ष का ही मान्य होगा।</u> 10.7 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों की श्रेणी में केवल पुत्र, पुत्री तथा पौत्र (पुत्र का पुत्र / पुत्री का पुत्र) एवं पौत्रियाँ (पुत्र की पुत्री / पुत्री की पुत्री, विवाहित / अविवाहित) ही आते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से केवल उपर्युक्त सम्बन्ध ही पर्याप्त नहीं है अपितु अभ्यर्थी को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पर वास्तव में आश्रित भी होना चाहिए। अभ्यर्थी आरक्षण विषयक प्रमाण-पत्र शासनादेश संख्या- 453 / 79-वि-1-15-1(क) 14-2015 दिनांक 07-04-2015 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करें। 10.8 आरक्षण का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट-1 में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाये तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें। एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जायेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, विकलांगता से ग्रस्त तथा भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को जो उ0प्र0 राज्य के मूल निवासी नहीं हैं उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे। नोट:- (1) उ0प्र0 के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के
--	--	--	--	--	---

अनुभव प्रमाण पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / सुश्री पुत्र / पुत्री श्री / श्रीमती जिनकी जन्मतिथि है, के द्वारा नियोजन विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत विकासखण्ड..... जनपद.....में दिनांक.....से तक शोधार्थी के रूप में सफलतापूर्वक कार्य किया गया। नोट: यह प्रमाण-पत्र उ0प्र0 लोक सेवाओं (प्रतियोगी परीक्षा हेतु मुख्यमंत्री अध्येतावृत्ति के अनुसंधानविदों के लिए आयु सीमा एवं अधिमान का शिथिलीकरण) नियमावली, 2026 में प्राविधानित वेटेज व आयु में शिथिलीकरण प्रयोजनार्थ जारी किया गया है। दिनांक : विशेष सचिव, नियोजन विभाग	
सचिव	